



प्रेस विज्ञप्ति

01.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने दीपक असाई के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30.01.2025 को 1.05 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियां [कुर्क की गई संपत्तियों का बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये (लगभग) है] अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), भोपाल में अधीक्षण अभियंता (प्रभारी मुख्य अभियंता) के रूप में कार्यरत थे। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियां अचल संपत्तियों के रूप में हैं, जो जिला- भोपाल, मध्य प्रदेश और जिला- भंडारा, महाराष्ट्र में स्थित आवासीय एकोमोडेशन और वाणिज्यिक दुकान हैं और डाकघर में रखी गई विभिन्न एफडी/एनएससी के रूप में चल संपत्तियां और दीपक असाई और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ की गई बीमा पॉलिसियों के रूप में हैं।

ईडी ने विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा दीपक असाई और उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति असाई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि दीपक असाई ने लोक निर्माण विभाग में लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया और अपनी अवैध आय को बड़े पैमाने पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया, जबकि श्रीमती ज्योति असाई ने कथित तौर पर अपने पति की अवैध आय/अपराध की आय को वैध रूप में परिवर्तित/प्रक्षेपित करने में अपने पति की सहायता की।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।